न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ,जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी	:-	**नवीन सिंह गुर्जर, आर.जे.एस.**
मूल फौजदारी प्रकरण सं०	:-	**236/2022**
सी०आई०एस० नं०	:-	**441/2022**
एफआईआर सं०	:-	**271/2022 थाना नौगांवा, अलवर**
सीएनआर नं०	:-	RJAL290008102022

राजस्थान राज्य **.....अभियोजन**	**बनाम**	1.रसमुदीन पुत्र श्री जसमाल उम्र 38 साल, 2.जैकम पुत्र श्री जसमाल उम्र 35 साल, 3.इस्माइल पुत्र श्री कडकल्ली उम्र 60 साल 4.फकरू पुत्र श्री कमाल खां उम्र 45 साल 5.कब्बी पुत्र श्री जसमाल उम्र 60 साल, 6.सहरूना पत्नी श्री रसमुदीन उम्र 35 साल, 7. मजीद खां पुत्र श्री कमाल, उम्र 40 साल निवासीयान रघुनाथगढ़ कॉलोनी, नौगांवा, जिला अलवर, राजस्थान। **.....अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा 147,148,323,341,325,326, सपठित धारा 149 भा०द०सं० 1860

उपस्थितिः-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान सरकार की ओर से।
2. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र थिरान।
3. परिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आसमोहम्मद।

अपराध की तिथि	21-06-2022	**साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि**	29-03-2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21-06-2022	**निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि**	21-10-2024
चालान की तिथि	22-11-2022	**निर्णय की तिथि**	21-10-2024
आरोप सुनाने की तिथि	04-02-2023	**सजा की तिथि, अगर हैं तो**	-

निर्णय **दिनांकः- 21-10-2024**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी साकिर (पी.डब्ल्यू. 07) द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 के आधार पर पुलिस थाना नौगांवा पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/2022 में अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147,148,323,341,325,326 सपठित धारा 149 भा०द०सं० 1860 के तहत दंडनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ है।

2. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 के अनुसार उक्त प्रकरण के संक्षेपिततः तथ्य यह है कि घटना दिनांक 21-06-2022 के समय करीब 7 बजे की है। प्रार्थी की पत्नी रूबीना भैंसों का चारा लेने खेत पर गयी थी और चारा काट रही थी, तभी इरफान पुत्र जसमाल, मजीद पुत्र कमाल, निवासी कोलानी ने उसकी पत्नी से छेडछाड की और बदतमीजी करके बेअदब कर दिया। वह थोडी देर में ही वहां पहुंच गया और उसने उन लोगो ने को उलाहना दिया तो उसे इरफान, मजीद ने मारपीट करते हुए सिर व उल्टे हाथ की अंगुलियों में फरसी व चांटिया मारी, उसकी पत्नी बीच-बचाव में आई तो उसको भी मारा पीटा। फिर शोर मचने पर उसके परिवारजन वहां आये इरफान व मजीद के परिवारजन भी वहां आये। जो कि रसमुदीन, जैकम, इरफान पुत्र जसमाल, फकरू, मजीद पुत्र कमाल, इस्माइल, जसमाल पुत्र कडकली, रूक्की पत्नी जाकर, मिन्नी पत्नी इरफान, निवासीयान कोलानी अपने हाथों में लाठी डण्डे, फरसी चाटियें लेकर आये और उसकी पत्नी रूबीना के फरसी की फकरू ने मारी और उसकी मां नूरजा के उल्टे हाथों में लाठी रसमुदीन ने मारी जिससे उसकी हाथ की हडडी टूट गयी और उसके पिता नसरू के सिर व पांव में फरसी व चांटिये की जैकम, फकरू ने मारी और उसके भाई की पत्नी मनीषा के हाथ में फरसी से रूक्की व मिन्नी ने मारी और उसके भाई मुस्ताक के सिर व हाथ में चाटिंये की जसमाल ने मारी और उसके परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा और उसके पूरे परिवार को गंभीर चोटे आयी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है.....आदि। उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/2022 पुलिस थाना नौगांवा में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रांरभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147,341,323,324,325,336 सपठित धारा 149 भा०द०सं० 1860 के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147,148,323,341,325,326 सपठित धारा 149 भा०द०सं० 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 147,148,323,341,325,326 सपठित धारा 149 भा०द०सं० 1860 का अभियोग पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने सुन व समझकर उक्त आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने विचारण प्रकरण में उभय पक्षों की ओर से धारा 323,341,325/149 भा०दं०सं० में राजीनामा का आवेदन पेश किया गया। धारा 323,341,325/149 भा०दं०सं०. में उभय पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया व समझाया गया, जिन्होंने राजीनामा पढ सुन समझ कर स्वीकार किया। जिस पर राजीनामा बाद जांच पृथक से तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। उक्त राजीनामे के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 323,341,325/149 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। इसके उपरांत अभियुक्तगण के विरूद धारा 147,148,326 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में विचारण शेष रहा।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः-

क्रं०सं०	पी०डब्ल्यू	नाम	दिनांक
1	पी०ड० 1	0	0
2	पी०ड० 2	0	0
3	पी०ड० 3	0	0
4	पी०ड० 4	0	0
5	पी०ड० 5	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0

नोटः- प्रकरण में सहवन से गवाहान में पी०ड० 6 अंकित होने से रह गया है, जिससे आज गवाहान को सुविधा के लिए उपरोक्तानुसार पढ़ा जा रहा है।

तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्रं०सं०	प्रदर्श	नाम	दिनांक
1	प्रदर्श पी० 1	161 सीआरपीसी बयान मुस्ताक	21-06-2022
2	प्रदर्श पी० 2	नक्शामौका घटनास्थल	22-06-2022
3	प्रदर्श पी० 3	आईआर रिपोर्ट मुस्ताक	21-06-2022
4	प्रदर्श पी० 4	एक्सरे रिपोर्ट मुस्ताक	21-06-2022
5	प्रदर्श पी० 5	पुलिस बयान रूबीना	22-06-2022
6	प्रदर्श पी० 6	आईआर रिपोर्ट रूबीना	21-06-2022
7	प्रदर्श पी० 7	164 सीआरपीसी बयान रूबीना	30-06-2022
8	प्रदर्श पी० 8	पुलिस बयान मनीषा	02-07-2022
9	प्रदर्श पी० 9	चोट प्रतिवेदन मनीषा	21-06-2022
10	प्रदर्श पी० 10	पुलिस बयान नसरू	02-07-2022
11	प्रदर्श पी० 11	चोट प्रतिवेदन नसरू	21-06-2022

12	प्रदर्श पी० 12	एक्सरे रिपोर्ट नसरू	21-06-2022
13	प्रदर्श पी० 13	पुलिस बयान नूरजा	02-07-2022
14	प्रदर्श पी० 14	चोट प्रतिवेदन नूरजा	21-06-2022
15	प्रदर्श पी० 15	एक्स रे रिपोर्ट नूरजा	21-06-2022
16	प्रदर्श पी० 16	तहरीरी रिपोर्ट साकिर	21-06-2022
17	प्रदर्श पी० 17	चाक एफआईआर	21-06-2022
18	प्रदर्श पी० 18	पुलिस बयान साकिर	22-06-2022
19	प्रदर्श पी० 19	चोट प्रतिवेदन साकिर	21-06-2022
20	प्रदर्श पी० 20	एक्सरे रिपोर्ट साकिर	21-06-2022
21	प्रदर्श पी० 21	पुलिस बयान हकमुदीन	02-07-2022
22	प्रदर्श पी० 22	पुलिस बयान जाकर	02-07-2022

6. अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। साक्ष्य अभियोजन के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया। जिस पर अभियुक्तगण ने उनके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वे निर्दोष हैं एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अंत में अभियुक्तगण को धारा 147,148,326 सपठित धारा 149 भा०दं०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभाष है। प्रकरण में कोई ठोस चक्षुदर्शी गवाह भी नहीं है। प्रकरण में अधिकतर गवाह पक्षद्रोही रहे हैं। प्रकरण में ऐसा कोई सुदृढ़ तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के परिवार वालों के साथ मारपीट की गयी। पक्षकारान के मध्य राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साक्षियों की साक्ष्य का विधिक मूल्यांकन तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया।

इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू निर्णीत करने हैंः-

- क्या दिनांक 21-06-2022 को करीब 07.00 बजे मुबारिकपुर नौगांवा में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रेषण में आपस में मिलकर परिवादी व आहतगण के साथ धारदार हथियार से वार कर मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की गयी?

विचारणीय बिंदु का विनिश्चयः-

10. उक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन पक्ष के विरूद्ध तय किया जाता है।

विनिश्चय का कारणः-

11. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पी०ड०1 से लेकर पी०ड०11 तक पेश कर परीक्षित कराये गये हैं। उक्त समस्त गवाहान के द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों का अवलोकन करे तो न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त समस्त गवाहन न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उक्त समस्त गवाहान द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्ति होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर आहतगण के साथ खतरनाक आयुधों से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की गयी है। गवाहान द्वारा मुख्यतः जो कथन किये गये हैं, उनसे सामने आता है कि उनका रसमुदीन, मजीद वगै० से कहासुनी हो गयी थी, जिसके कारण उनके द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा किसी आहतगण के साथ धारादार हथियार से कोई मारपीट नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त समस्त गवाहान द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह भी प्रकट किया गया है कि आहतगण के चोटे गिरने पड़ने से आयी थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवाहान ने अपने प्रतिपरीक्षण में राजीनामा होने की बात भी कबूली है। इस प्रकार इन गवाहान ने अभियोजन कहानी की विचारणीय बिंदु के संबंध में लेशमात्र भी ताईद नहीं की है, जिससे अभियोजन मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में उपरोक्त सभी गवाहों के साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे अभियोजन मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्रभर भी प्रमाणित होना संभव प्रतीत हो सके।

12. ऐसे में न्यायालय के मत में पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा परिवादी व आहतगण के साथ आरोपित अपराध किया जाना सामने आ सके। ऐसे में उक्त का प्रतिकूल प्रभाव भी अभियोजन मामले पर पड़ता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य धारा 323, 341, 325/149 भा०दं०सं० में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जा चुका है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 325/149 भा०दं०सं० के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना पक्ष विश्वसनीय व सुदृढ साक्ष्य के जरिये संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्तगण को दिया जाना

चाहिए। पूर्वोक्त साक्ष्य के विवेचन से दिनांक 21-06-2022 को करीब 07.00 बजे मुबारिकपुर नौगांवा में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रेषण में आपस में मिलकर परिवादी व आहतगण के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करना, प्रमाणित होना प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से असफल होना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त आरोपित अपराध में अभियुक्तगण को दोषसिद्व घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त विचारणीय बिंदु के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर किए गए विनिश्चय के अनुसार अभियुक्तगण को धारा 147, 148, 326 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

14. अतः अभियुक्तगण 1.रसमुदीन पुत्र श्री जसमाल उम्र 38 साल, 2.जैकम पुत्र श्री जसमाल उम्र 35 साल, 3.इस्माइल पुत्र श्री कडकल्ली उम्र 60 साल 4.फकरू पुत्र श्री कमाल खां उम्र 45 साल 5.कब्बी पुत्र श्री जसमाल उम्र 60 साल, 6.सहरूना पत्नी श्री रसमुदीन उम्र 35 साल, 7. मजीद खां पुत्र श्री कमाल, उम्र 40 साल निवासीयान रघुनाथगढ़ कॉलोनी, नौगांवा, जिला अलवर, राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 326 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 149 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में पूर्व में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए द०प्र०सं० के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु बंधपत्र पूर्व में प्रस्तुत किए जा चुके है, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे। प्रकरण में कोई माल वजह सबूत जब्त नहीं है।

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर

15. निर्णय आज दिनांक 21-10-2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया

(नवीन सिंह गुर्जर)
सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामगढ, जिला अलवर